संख्या-115/2021/2890/26-3-2021-4(215)/90 टी.सी.III

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

2- निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 08 अक्टूबर 2021

विषय: **वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2021-22 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) की कक्षाओं से सम्बन्धित छात्रों को छात्रवृत्ति आवेदन से वितरण तथा अन्य कार्यों हेतु संशोधित समय- सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1447/स0क0/ शिक्षा-अ/7/52/2021-22, दिनांक-05.10.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2021-22 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) की कक्षाओं से सम्बन्धित छात्रों को छात्रवृत्ति आवेदन से वितरण तथा अन्य कार्यों हेतु संशोधित समय-सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- निदेशक, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में शासनादेश संख्या-85/2021/1867/26-3-2021-4 (215)/90 टी0सी0-III दिनांक 12-07-2021 द्वारा निर्गत समय-सारिणी में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र0 सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	कार्यवाही की समयावधि कक्षा 9–10 हेतु	कार्यवाही की संशोधित समयावधि कक्षा 9–10 हेतु
	कक्षा 9–10 के छात्र/छात्राओं हेतु आनलाइन आवेदन के सम्बन्ध में		
1	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना।	23 जुलाई से 11 अक्टूबर 2021 तक	23 जुलाई से 12 अक्टूबर 2021 तक
2	छात्र द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (आय, जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा आवेदन का क्रमांक) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
3	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित विद्यालय में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 18 अक्टूबर 2021 तक	आवेदन पत्र भरने के 06 दिन के अन्दर, विलम्बतम 18 अक्टूबर 2021 तक
4	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का विद्यालय द्वारा मूल अभिलेखों से मिलान के उपरांत ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	26 जुलाई से 28 अक्टूबर 2021 तक	26 जुलाई से 21 अक्टूबर 2021 तक
5	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा विद्यालय की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	08 नवम्बर 2021 तक	08 नवम्बर 2021 तक
6	**PFMS** साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	29 अक्टूबर से 08 नवम्बर 2021 तक	22 अक्टूबर से 01 नवम्बर 2021 तक
7	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, विद्यालय के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन	09 नवम्बर से 19 नवम्बर 2021 तक	02 नवम्बर से 10 नवम्बर 2021 तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक किया जाना।		
8	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के पश्चात् विलम्बतम 22 नवम्बर तक	आवेदन पत्र भरने के पश्चात् विलम्बतम 12 नवम्बर 2021 तक
9	त्रुटियों को ठीक करके छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्रों का विद्यालय द्वारा संलग्न अभिलेखों से मिलान करके ऑनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	11 नवम्बर से 25 नवम्बर 2021 तक	15 नवम्बर, 2021 तक
10	छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	26 नवम्बर से 06 दिसम्बर 2021 तक	16 नवम्बर, 2021 से 18 नवम्बर, 2021 तक
11	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	07 दिसम्बर से 20 दिसम्बर 2021 तक।	02 नवम्बर, 2021 से 23 नवम्बर 2021 तक
12	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना।	22 दिसम्बर 2021 तक	25 नवम्बर, 2021 तक
13	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर बैंक/कोषागार के ई–पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	27 दिसम्बर 2021 तक	27 नवम्बर, 2021 तक

नोटः- शासनादेश संख्या-85/2021/1867/26-3-2021-4(215)/90 टी0सी0-III दिनांक 12-07-2021 द्वारा पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना के लिए वर्ष 2021-22 हेतु जारी समय सारिणी के शेष कार्यों हेतु समयावधि पूर्ववत् रहेगी।

3- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संशोधित समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लखित प्राविधानां के अनुसार शैक्षिक सत्र 2021-21 में पूर्वदशम योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

के0 रविन्द्र नायक
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-115 /2021/2890 (1)/26-3-2021 तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in